2020, 6 एस.सी.आर. 1140

जुगुत राम

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 616/2020) 16 सितंबर, 2020

{आर. एफ. नरीमन, नवीन सिन्हा और इंदिरा बनर्जी, न्यायमूर्तिगण}

भारतीय दंड संहिता, 1860:

धारा 304 (भाग II) - लाठी द्वारा हमला-एक दिन के बाद पीड़ित की मृत्यु के परिणामस्वरूप दोषसिद्ध अन्तर्गत धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता अवर न्यायालयों द्वारा आजीवन कारावास उच्चतम न्यायालय में अपील-अवधारितः लाठी एक ग्रामीण द्वारा ले जाने वाली एक सामान्य वस्तु है, इसे हमले का हथियार नहीं कहा जा सकता है, लाठी द्वारा हमले के मामले में, यह पता लगाना होगा कि क्या आशय या ज्ञान था परिस्थितियों, हमले के तरीके, चोटों की प्रकृति और संख्या को संचयी रूप से विचार करना होगा। आशय या ज्ञान को समझने के लिए जैसा कि मामला हो सकता है वर्तमान मामले के तथ्यों में सजा को धारा 304(II) में परिवर्तित किया गया। अभियुक्त पहले से ही सजा की अधिकतम अवधि से भुगत चुका है, रिहा किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

अपील की अनुमति देते हुए, न्यायालय

अवधारित 1. एक लाठी इस देश में एक ग्रामीण द्वारा रखी जाने वाली एक सामान्य वस्तु है, जो उसकी पहचान से जुड़ी होती है। तथ्य यह है कि यह हमले के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल करने में भी सक्षम है, यह हमले को सरल बनाने वाला हथियार नहीं बनाता है। वर्तमान जैसे मामले में, लाठी से सिर पर हमला, यह हमेशा प्रत्येक मामले में एक प्रश्न तथ्य है कि क्या मृत्यु कारित करने का आशय था या केवल ज्ञान था कि मृत्यु होने की संभावना है। परिस्थितियों, हमले के तरीके, प्रकृति और चोटों की संख्या सभी जैसा भी मामला हो, आशय या ज्ञान को समझने के लिए संचयी रूप से विचार किया जाना चाहिए। {पैरा 7} {142-जी-एच 1143-ए}

2. तदनुसार अपीलकर्ता की सजा को धारा 302 आईपीसी से धारा 304 (भाग प्प्) भारतीय दण्ड संहिता में बदल दिया जाता है। अपीलकर्ता 2004 से हिरासत में है। वह पहले ही उसी के तहत निर्धारित सजा की अधिकतम अवधि भुगत चुका है। इसलिए, अपीलकर्ता को जब तक किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है अविलम्ब रिहा किये जाने का निर्देश दिया गया। {पैरा 11} {1144 ई एफ}

चमरू बुधवा बनाम मध्य प्रदेश राज्यर्, ए. आइ. आर. 1954, एससी 652,

गुरमुख सिंह बनाम हरियाणा राज्य, (2009) 15 एससीसी 635: {2009}, 13 एससीआर 548,

मो. शकील बनाम आन्ध्रप्रदेश राज्य, (2007) 3 एससी 119 संदर्भित

विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1958), एससीआर 1495,

जोसेफ बनाम केरल राज्य, (1995) एससीसी (क्रि0) 165

लल्टू घोष बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2019) 15 एससीसी 344

आन्ध्र प्रदेश राज्य बनाम रायप्पा, (2006) 4 एससीसी 512: (2006) 2 एससीआर 200
संदर्भित-

विधि व्यवस्था संदर्भ {1958}, एससीआर 1495 का पैरा 7 {2009}, 13 एससीआर 548 का पैरा 9 (2007) पर भरोसा किया 3 एससीसी 119 के पैरा 9 (2019) 15 एससीसी 344 पैरा 10 (2006) 2 एससीआर 200 को पैरा 10 के लिए संदर्भित किया है।

फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार

फौजदारी अपील संख्या-616/2020

आपराधिक अपील संख्या 446/2004 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय और आदेश दिनांक 25.08.2010 से।

सौरव रॉय, उप. एजी, श्रीमती ननीता शर्मा, महेश कुमार, प्रणव सचदेवा, प्रबुद्ध सिंह, सुशांत यादव, सुश्री देविका खन्ना, लीलाधर प्रजापत, सलाहकार। उपस्थित पक्षकार के अधिवक्तागण।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा,

1. अपील अनुज्ञात की गई.

2. अपीलकर्ता भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में भा0 द 0 सं0) की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की दोषसिद्धि की गई और उच्च न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा गया। इस अपील में उक्त दोनों को चुनौती दी गई।

3. अपीलकर्ता की विद्वान वकील सुश्री ननीता शर्मा द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि सभी चार गवाह मृतक के रिश्तेदार हैं। मामले के दो स्वतंत्र गवाह परीक्षित नहीं हुए। मृतक के रक्त समूह के संबंध में सीरोलॉजिकल रिपोर्ट एवं लाठी पर पाए जाने वाला रक्त का मिलान स्थापित नहीं हो पाया। लाठी की बरामदगी समुचित रूप से साबित नहीं हुई है. मृतक की तुरंत मौत नहीं हुई, लेकिन उसने अस्पताल में चोटों के कारण दम तोड़ दिया। हमला बिना किसी पूर्व-योजना के अचानक किया गया था। अपीलार्थी को भी चोटें आई थीं।

4. राज्य के विद्वान वकील श्री सौरव रॉय ने अपील का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि मृतक का खेत पर कब्जा था। अपीलकर्ता आक्रामक था। मृतक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मानव शरीर के संवेदनशील हिस्से सिर पर किए गए हमले से जान लेने का आशय प्रकट होता है। अपीलकर्ता यह तर्क प्रस्तुत नहीं कर सकता कि उसने आत्मरक्षार्थ कार्यवाही की क्योंकि वह आक्रामक था। उसने आन्ध्र प्रदेश राज्य बनाम एस. रायप्पा, (2006) 4 एससीसी 512 एवं लल्टू घोष बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2019) 15 एससीसी 344 पर विश्वास व्यक्त करते हुए यह तर्क दिया कि रिश्तेदारी के गवाहों के साक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

5. हमने पक्षों के विद्वान वकील को विस्तार से सुना है। पक्षों के बीच दीवानी से सम्बन्धित भूमि विवाद मौजूद था। घटना 23.11.2001 को लगभग 02.00 बजे अपराह्न की बताई गई है, जब मृतक फसल काट रहा था। अपीलकर्ता ने उसके सिर पर लाठी से हमला किया। मृतक की अगले दिन शाम लगभग 07.45 बजे अस्पताल में मृत्यु हो गई।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से यह बात डॉक्टर पी.डब्लू.-13 ने साबित कर दी कि बाएं और दाएं पैरिटल भाग पर दो निलगू निशान एवं बाएं पैरिटल हड्डी पर फ्रैक्चर पाया गया, जो जीवन के लिए खतरनाक रहा है। अन्य घायल गवाहों ने पुष्टि की है कि अपीलकर्ता को भी घटना में चोटें आईं।

6. सबूतों का विश्लेषण कर उच्च न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि हमला पूर्व नियोजित नहीं था, बल्कि भूमि विवाद के कारण आवेश में आकर किया गया था। यदि अपीलकर्ता का आशय था, तो उसे मृतक पर और आगे हमला करने में कोई अवरोध नहीं रहा है। इसके बावजूद इसने भा0 द 0 सं0 की धारा 302 के तहत अपीलकर्ता की सजा को बरकरार रखा क्योंकि उसके द्वारा किए गए हमले के कारण मौत हुई थी।

7. लाठी इस देश में एक ग्रामीण द्वारा रखी जाने वाली एक सामान्य वस्तु है, जो उसकी पहचान से जुड़ी होती है। तथ्य यह है कि यह हमले के हथियार के रूप में भी इस्तेमाल करने में सक्षम है, यह इसे हमले का हथियार नहीं बनाता है। वर्तमान मामले की तरह, सिर पर लाठी से हमला करने के मामले में, प्रत्येक मामले में यह हमेशा एक तथ्य का प्रश्न है कि क्या हत्या कारित करने का आशय था या केवल ज्ञान था कि हत्या की संभावना थी। यह परिस्थितियाँ, हमले का तरीका, प्रकृति और चोटों की संख्या सभी तथ्यों पर निर्भर करता है। जैसा भी मामला हो, आशय या ज्ञान को समझने के लिए संचयी रूप से विचार किया जाता है। हम इस संबंध में विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1958 एससीआर 1495 में निर्धारित सिद्धांतों पर विचार करना आवश्यक नहीं समझते हैं, जो अच्छी तरह से स्थापित हैं। उदाहरणों से यह जानना पर्याप्त है कि जोसेफ बनाम केरल राज्य, (1995) एससीसी (क्रि0) 165 में, अपीलकर्ता ने मृतक के सिर पर दो वार किए। दो दिन बाद मृतक की मौत हो गई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर फटे हुए घाव पाए गए और आंतरिक जांच में ओसीसीपिटल हड्डी में फ्रैक्चर का पता चला जो टेम्पोरल हड्डी तक फैला हुआ था। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को भा0 द 0 सं0 की धारा 302 के तहत यह कहते हुए दोषी ठहराया कि लाठी से लगी चोट मृतक की मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी। इस न्यायालय ने इस प्रकार पर्वेक्षण किया ''3... इस्तेमाल किया गया हथियार कोई घातक हथियार नहीं है जैसा कि विद्वान वकील ने उचित रूप से तर्क दिया है। पूरी घटना एक मामूली घटना का परिणाम थी और उन परिस्थितियों में आरोपी ने उस पर दो वार किए सिर पर लाठी से प्रहार किया गया है, इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि उसका इरादा चोट पहुंचाने का था जो कि पर्याप्त है। अधिक से अधिक यह कहा जा सकता है कि ऐसी चोटें पहुंचाने से उसे पता था कि वह मौत का कारण बन सकता है। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा किया गया अपराध गैर इरादतन हत्या होगा। तदनुसार, हम भा0 द 0 सं0 की धारा 302 के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और उसके तहत दी गई आजीवन कारावास की सजा को रद्द कर देते हैं। इसके बजाय हम अपीलकर्ता को भा0 दं0 सं0 की धारा 304 भाग ॥ के तहत दोषी ठहराते हैं और उसे पांच साल की सश्रम कारावास से दण्डित करते हैं।''

8. चामरू बुधवा बनाम मध्य प्रदेश राज्य में, एआईआर 1954 एससी 652, में अपीलकर्ता ने मृतक के सिर पर लाठी से वार किया जो घातक साबित हुआ। चिकित्सकीय दृष्टि से यह चोट सामान्य रूप से मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी। भा0 द 0 सं0 की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि हुई। इस अदालत ने इस प्रकार टि॥णी की।

> ''5. अब यह विचार करना शेष है कि क्या उसने जो अपराध किया है वह भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के पहले भाग या दूसरे भाग के अंतर्गत आता है। जब अपीलकर्ता द्वारा सिर पर घातक चोट पहुंचाई गई थी अभियोजन पक्ष द्वारा कथित तरीके से दिए गए केवल एक झटके से मृतक की मृत्यु हो सकती है, यह भी हो सकता है कि जिस कार्य से मृत्यु हुई वह मृत्यु कारित करने या ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने के आशय से नहीं किया गया था जिससे मृत्यु होने की संभावना थी। ऐसा प्रतीत होता है कि यह कृत्य इस ज्ञान के साथ किया गया था कि इससे मृत्यु होने की संभावना थी, लेकिन बिना मृत्यु कारित करने या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का आशय जिससे मृत्यु कारित होने की संभावना जोकि भारतीय दण्ड संहिता की धारा-304 के भाग-॥ के अन्तर्गत आती है।
>
> 6. हम तदनुसार इस हद तक अपील की अनुमति देते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और उसे दी गई आजीवन कारावास की सजा को रद्द की जाती है, लेकिन

अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग ॥ के तहत अपराध करने का दोषी पाया जाता है एवं सात साल के कठोर कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाता है।''

9. गुरमुख सिंह बनाम हरियाणा राज्य, (2009) 15 एससीसी 635 में, मृतक की तीन दिन बाद सिर पर लाठी से किए गए हमले के बाद मृत्यु हो गई, जिसे प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मौत के लिए पर्याप्त माना गया। यह अवधारित करते हुए कि हमला बिना किसी पूर्व नियोजित आवेश में किया गया था, दोषसिद्धि को धारा 302 से परिवर्तित कर धारा 304 भाग प्प् में किया गया और सात साल की सजा दी गई। इसी प्रकार मो0 शकील बनाम स्टेट ऑफ आन्ध्र प्रदेश राज्य (2007) 3 एससीसी 119, अपीलकर्ता ने केवल एक चोट पहुंचाई थी और खुद भी चोट लगी थी। धारा 302 भा0 द 0 सं0 के तहत दोषसिद्धि को 304 भाग॥ में परिवर्तित करते हुए, अपीलकर्ता को वर्ष 1999 से जेल में बितायी गई अवधि से दण्डित किया गया।

10. हम यह नहीं मानते हैं कि संबंधित गवाहों की विश्वसनीयता के संबंध में लल्टू घोष (सुप्रा) और एस. रायप्पा (सुप्रा) की हमारे द्वारा तय किए जा रहे विषय से कोई प्रासंगिकता है।

11. तद्नुसार हम अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को भा0 द 0 सं0 की धारा 302 से परिवर्तित कर धारा 304 भाग ॥ भा0 द 0 सं0 में दोषसिद्ध करते हैं। अपीलकर्ता 2004 से हिरासत में है। वह पहले ही इसके तहत निर्धारित सजा की अधिकतम अवधि व्यतीत कर चुका है। इसीलिए निर्देश दिया जाता है कि अपीलकर्ता यदि किसी अन्य मामले में वांछित न हो, उसे तुरंत रिहा कर दिया जाए।

12. अपील स्वीकार की जाती है।

कल्पना के. त्रिपाठी अपील अनुज्ञात।

.....

टी0 एन 0 पासवान
अपर जिला जज
(सुलतानपुर) उत्तर प्रदेश